

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- मिथलेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :- 95/20

मुख्तयारसिंह पुत्र पालासिंह जाति जटसिख निवासी लिखमीसर हाल चक 32
केवाईडी 'ए' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट.

:-आदेश:-

दिनांक :- 02.11.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आ.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार से है कि चक 32 केवाईडी 'ए' के मु0नं0 199/28 के किला नं0 9 ता 16 तादादी 8.00 बीघा यानी 2.0232 हैक्टर दर्ज कागजात है। जिसका 1/2 हिस्सा का मैने दानपत्र अपनी पुत्रवधू को कर दिया है। राजस्व रिकार्ड में मेरे बैयनामा दिनांक 30.03.1994 मुताबिक इं0सं0 33 दिनांक 24.5.94 भरा गया। लेकिन पिता का नाम पालासिंह की बजाय पातासिंह सहवन या पैनत्रुटि वश कर दिया जबकि बैयनामा में पालासिंह था। अन्य दस्तावेज में भी पिता का नाम पालासिंह ही दर्ज है तथा चक 30 केवाईडी की भूमि भी मुख्तयारसिंह पुत्र पालासिंह के नाम दर्ज है, आधारकार्ड, राशनकार्ड, परिचय पत्र आदि में पिता का नाम पालासिंह ही दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का पिता नाम पातासिंह गलती से अंकित है और प्रार्थी उक्त रिकॉर्ड में अपने पिता के नाम को पातासिंह की जगह पालासिंह दुरस्त करवाना चाहता है। इस बाबत प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश करने के साथ साथ दस्तावेज बैयनामा, जमाबंदी, इंतकाल प्रविष्टि 33, दानपत्र, आधारकार्ड, परिचयपत्र की छायाप्रति व कार्यालय ग्रा0पं0 34 केवाईडी का प्रमाण पत्र पेश किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर भूमि वाके चक 32 केवाईडी 'ए' के मु0नं0 199/28 के किला नं0 9 ता 16 तादादी 8.00 बीघा यानी 2.0232 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता नाम पातासिंह की जगह पालासिंह नियमानुसार दुरस्त करने के आदेश किये जाते हैं शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक 02.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

